न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 34/2018

1. तुलसीराम आत्मज श्रीरामचन्द्र तेली निवासी तेलीयों की बाड़ी, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा 2. गोपाल लाल आत्मज श्री रामचन्द्र तेली निवासी तेलीयों की बाड़ी, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा **–अपीलार्थी**	**बनाम**	1. रामचन्द्र आत्मज श्री नाथू लाल तेली निवासी तेलीयों की बाड़ी, बड़ी स्कुल के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा 2. श्रीमती प्यारी पत्नी श्री रामचन्द्र तेली निवासी तेलीयों की बाड़ी, बड़ी स्कुल के पास, पुर तहसील व जिला भीालवाड़ा **–रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा बमामले प्रकरण संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 09.04.2018

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच – अधिवक्ता प्रार्थी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय

निर्णय दिनांक 11-3-2021

अपीलार्थीगण की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा बमामले प्रकरण संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 09.04.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के पुत्र है तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 ने अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा में अपीलार्थीगण उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं व डराते धमकाते हैं, सेवा सुश्रुषा नहीं करते, मकान से बाहर निकालने, जान से मार देने की धमकी देने, खाने पहनने को नहीं देने, कोई सार सम्भाल नहीं करने इत्यादि वर्णित करते हुये एक आवेदन प्रस्तुत कर भरण–पोषण की राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय ने 1,500/– रूपये का आदेश प्रति अपीलार्थीगण पारित कर दिया। उक्त आदेश न्यायालय द्वारा गलत तौर से पारित किया गया हैं। प्रत्यर्थीगण काफी सम्पन्न व्यक्ति हैं तथा उपरोक्त अधिनियम के तहत केवल उन्हीं माता पिता को भरण पोषण दिलाया जाता हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन सम्पति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य बाबत् कोई जाँच नहीं की हैं और जवाब हेतु नियत पेशी पर ही आदेश प्रदान कर दिया गया हैं। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 अपने अन्य दो पुत्र सांवर लाल व देबी लाल की बहकावट एवं सिखावट में होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया हैं।

2–यह कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण सं0 01 व 02 के पुत्र हैं। तथा प्रत्यर्थीगण सं0 01 व 02 ने विद्वान अधिनस्थ अधिकरण न्यायालय में अपीलार्थीगण उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं व डराते धमकाते हैं, सेवा सुश्रुषा नहीं करते, मकान से बाहर

अपीलार्थीगण के माता पिता प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 ने ग्राम पुर में स्थित खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 8783 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म नहरी पिवल एवं आराजी संख्या 8784 रकबा 10 बिस्वा किस्म नहरी में से निहित 1/2 हक हिस्सा डाली देवी पत्नी जमना लाल तेली एवं पुष्पा देवी उर्फ लाली देवी पत्नी भैरू लाल तेली को तादादी 4,00,000/– रूपये में दिनांक 19.02.2015 रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से एवं आराजी संख्या 8749 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही व जाव को अलोल देवी पत्नी लादु लाल तेली को तादादी 8,00,000/– रूपये में दिनांक 11.01.2016 को रजिस्टर्ड विलेख से विक्रय की हैं। उक्त विक्रय राशि 12,00,000/– रूपये तो सरकारी जिस पर विक्रय विलेख का पंजीयन हेतु प्रतिफल हैं लेकिन वास्तविक तौर पर उक्त दोनों ही विक्रय पत्रों वाली आराजियात मौके पर पीवल हो कर रबी व खरीब दोनों फसली होने से काफी पोटेंसियल महत्व की हो कर मार्केट में वास्तविक प्रचलित कीमत इससे कही गुना अधिक हैं जो 25,00,000/– रूपये की दर प्रति बीघा हैं तथा इस प्रकार उक्त कृषि आराजियात को विक्रय करने से करीबन 65–70 लाख रूपयें प्रत्यर्थीगण को प्राप्त हुये हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा जायदाद को विक्रय करने से उन्हें प्राप्त हुई राशि दोनों पुत्र सांवर लाल व देवी लाल के पास हैं अर्थात प्रत्यर्थीगण ने विक्रय से प्राप्तशुदा कुलिया राशि अपीलार्थीगण के भाई प्रत्यर्थीगण के अन्य दोनों पुत्र को सिपूर्द कर दी हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण अन्य दो पुत्र सांवर लाल व देवीलाल की सिखावट में होने से वे अपीलार्थीगण को अपनी जायदाद में से कोई हक व हिस्सा नहीं देना चाहते हैं और उक्त विक्रय राशि प्रत्यर्थीगण के पास होते हुये भी गलत तौर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं तथा उक्त राशि से अपना भरण पोषण करने में प्रत्यर्थीगण पूर्णतः समर्थ है। प्रत्यर्थीगण अपने अन्य दो पुत्रों के बहकावट एवं सिखावट में होने से विक्रय मूल्य की कुलिया राशि उन्हें ही देना चाहते हैं और परिवार के इस विवाद के कारण यह प्रर्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये ही आदेश प्राप्त कर लिया जिससे अपीलार्थीगण इधर इस प्रकरण में व्यस्त हो जाये अथवा इस प्रकरण में पारितशुदा आदेशानुसार राशि अदा करें जिससे वह अपीलार्थीगण पर नाजायज दबाव डाल कर अन्त में विक्रयशुदा आराजियात के विक्रय मूल्य की राशि में निहित हक व हिस्से को छोड़ दे।

अधिनस्थ नयायालय ने बिना वास्तविक तथ्यों का विवेचन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण हाजा में पेशी दिनांक 13.03.2018 को नियत थी तथा उस रोज अपीलार्थीगण द्वारा अपना अधिवक्ता श्री रामपाल जी शर्मा को अधिकृत कर नियुक्त किया गया, जिन्होंने पैरवी हेतु अधिकार पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। आगामी पेशी दिनांक 09.04.2018 जवाब प्रस्तुत करने हेतु दी गयी तथा पेशी दिनांक 09.04.2018 को बिना अपीलार्थीगण का जवाब बन्द किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया हैं, जबकि दिनांक 09.04.2018 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रथम अवसर ही था तथा अपीलार्थीगण अधिनस्थ अधिकरण न्यायालय में उपस्थित हो कर एक अवसर क्योंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा विक्रयशुदा विक्रय विलेखों की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर अपना जवाब अधिनस्थ अधिकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर सके इस कारण एक अवसर चाहने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा प्रकरण हाजा की पत्रावली में एक अवसर दिये जाने व आगामी पेशी पर जवाब आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की हिदायत के साथ उपस्थिति के हस्ताक्षर करवा कर आगामी पेशी थोड़ी देर बाद पीठासीन अधिकारी जी को अवगत करवा कर देने हेतु कहा गया। उसके बाद थाना पुर द्वारा उन्हें उक्त आदेश की पालना में वसूली हेतु ताकिद करने पर आदेश की जानकारी हुई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवायी एवं साक्ष्य का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया और अपीलाधीन आदेश प्रदान की दिया गया हैं। प्रत्यर्थीगण इस प्रकार मौरूसी मुश्तरका एवं पैतृक आराजियात को बिना किसी जायज एवं विधिक आवश्यकता के विक्रय करने से अपीलार्थीगण द्वारा अवशेष आराजियात के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक रेवेन्यू वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उस वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश पारित होने पर प्रत्यर्थीगण द्वारा उस राजस्व वाद को ड्रोप कराने के लिये अपीलार्थीगण पर नाजायज तौर दबाव डालने की गरज से यह प्रार्थना पत्र बाबत् भरण पोषण हेतु मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित हो प्रस्तुत किया गया हैं। विद्वान अधिनस्थ अधिकरण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्यायशास्त्र के बेसिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

2–यह कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण सं0 01 व 02 के पुत्र हैं। तथा प्रत्यर्थीगण सं0 01 व 02 ने विद्वान अधिनस्थ अधिकरण न्यायालय में अपीलार्थीगण उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं व डराते धमकाते हैं, सेवा सुश्रुषा नहीं करते, मकान से बाहर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को हाल ही में हुई जब दिनांक 01.09.2018 को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में पुलिस थाना पुर से रकम की वसूली हेतु सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ अधिकरण न्यायालय में आ कर प्रकरण के संबंधित जानकारी की तो उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश की जानकारी हुई। दिनांक 01.09.2018 को प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया व आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 07.09.2018 को प्राप्त हुई इससे पूर्व अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी और कानूनी एतराजात को रफा करने हेतु दिनांक 09.04.2018 से दिनांक 01.09.2018 तक के समयावधि को क्षमित कराने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण बावजूद पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहें जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दिनांक 17.03.2021 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। बहस एकतरफा सुनी गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 02/2018 आदेश दिनांक 09.04.2018 को अपास्त करा अपलार्थीगण को सुनवायी एवं साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान कर अजसरेनो आदेश पारित करने हे प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कराने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। बाद परीक्षण ज्ञात होता है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 में दिनांक 09.04.2018 को जारी आदेश बिना विपक्षीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जारी किया जाना प्रतीत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथमदृष्टया अंशतः स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

आदेश

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 09.04.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 02/2018 आदेश दिनांक 09.04.2018 में दोनों पक्षों को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को पुनः प्रेषित किया जावें।

प्रकरण बाद तामिल निर्णय शुमार हो। आदेश आज दिनांक 17-03-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

2–यह कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण सं0 01 व 02 के पुत्र हैं। तथा प्रत्यर्थीगण सं0 01 व 02 ने विद्वान अधिनस्थ अधिकरण न्यायालय में अपीलार्थीगण उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं व डराते धमकाते हैं, सेवा सुश्रुषा नहीं करते, मकान से बाहर